

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1289/2014/बांसवाडा
2. अपील संख्या 1290/2014/बांसवाडा
3. अपील संख्या 1291/2014/बांसवाडा
4. अपील संख्या 1292/2014/बांसवाडा
5. अपील संख्या 1293/2014/बांसवाडा
6. अपील संख्या 1294/2014/बांसवाडा
7. अपील संख्या 1295/2014/बांसवाडा
8. अपील संख्या 1296/2014/बांसवाडा
9. अपील संख्या 1297/2014/बांसवाडा
10. अपील संख्या 1298/2014/बांसवाडा
11. अपील संख्या 1299/2014/बांसवाडा
12. अपील संख्या 1300/2014/बांसवाडा
13. अपील संख्या 1301/2014/बांसवाडा
14. अपील संख्या 1302/2014/बांसवाडा
15. अपील संख्या 1303/2014/बांसवाडा
16. अपील संख्या 1304/2014/बांसवाडा
17. अपील संख्या 1305/2014/बांसवाडा
18. अपील संख्या 1306/2014/बांसवाडा
19. अपील संख्या 1307/2014/बांसवाडा
20. अपील संख्या 1308/2014/बांसवाडा
21. अपील संख्या 1309/2014/बांसवाडा

मैसर्स बांसवाडा सिन्टैक्स लि०,
बांसवाडा।

.....अपीलार्थीगण.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त बांसवाडा।
2. अतिरिक्त आयुक्त,
अपीलीय प्राधिकारी, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.एल.पाटौदी एवं सुश्री ईशु जैन,
अभिभाषकगण।

.....अपीलार्थीगण की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.08.2016

निर्णय

1. उपर्युक्त 21 अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 18.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, बांसवाडा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 सपठित धारा 26 एवं क्लॉज 9बी(viii) रा०नि०प्र०, 2003 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

Am'
29/08/16

Am'

लगातार.....2

क्र.सं.	अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अपी.आदे.दि.	कर निर्घा. आदेश दिनांक	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	योग
1	1289/14	24/वेट/रेस्टो./13-14	18.2.14	27.06.12	06-07	0	24,63,833	24,63,833
2	1290/14	25/CST/रेस्टो.13-14	18.2.14	27.6.12	06-07	0	22,12,140	22,12,140
3	1291/14	35/वेट/रेस्टो./12-13	22.10.13	7.9.12	07-08	4390530	2743299	7133829
4	1292/14	36/CST/रेस्टो.13-14	22.10.13	7.9.12	07-08	3437121	2147589	5584710
5	1293/14	37/वेट/रेस्टो./12-13	22.10.13	7.9.12	08-09	1354393	846254	2200647
6	1294/14	38/CST/रेस्टो.12-13	22.10.13	7.9.12	08-09	2970700	1856158	4826858
7	1295/14	39/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	08-09	0	767113	767113
8	1296/14	40/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	09-10	0	382191	382191
9	1297/14	41/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	09-10	0	1842936	1842936
10	1298/14	42/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	09-10	0	1544024	1544024
11	1299/14	43/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	09-10	0	1258374	1258374
12	1300/14	44/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	10-11	0	926889	926889
13	1301/14	45/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	10-11	0	2216340	2216340
14	1302/14	46/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	10-11	0	1709449	1709449
15	1303/14	47/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	10-11	0	1745748	1745748
16	1304/14	48/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	11-12	0	2101293	2101293
17	1305/14	49/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	11-12	0	1063196	1063196
18	1306/14	50/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	11-12	0	1645600	1645600
19	1307/14	51/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	11-12	0	932121	932121
20	1308/14	52/वेट/रेस्टो./13-14	13.3.14	15.10.12	12-13	0	1004192	1004192
21	1309/14	53/वेट/रेस्टो./13-14	30.05.14	11.12.13	13-14	0	10,54,577	10,54,577

2. इन प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की युनिट यार्न एवं फ़ैब्रीक्स का निर्माण करती है जो Rajasthan Investment Promotion Policy 2003 (RIPS 2003) (जिसे आगे "स्कीम" कहा जायेगा) के तहत ब्याज अनुदान की पात्र इकाई है लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त स्कीम के तहत ब्याज अनुदान आदेश पारित करने के बाद पुनः अधिनियम की धारा 33 सपठित धारा 26 एवं क्लॉज 9बी (viii) के तहत आदेश पारित किया। वित्त विभाग के आदेश एफ.4(18)एफडी/टैक्स/2001 पीटी दिनांक 10.10.2008 में किये गये संशोधन एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित कर मांग राशियां सृजित की है, उनको अनुचित बतलाते हुए व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया। इन निर्णयों के विरुद्ध व्यवसायी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो कि बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी ने मूल अपीलों को पुनः नम्बर पर लेते हुए गुणावगुणों पर निर्णय पारित करते हुए व्यवहारी की अपीलों को अस्वीकार कर दिया। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा ये अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गईं हैं।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि व्यवसायी की युनिट यार्न एवं टैक्सटाईल्स का निर्माण करती है, जो कि Rajasthan Investment Promotion Policy 2003 (RIPS 2003) स्कीम के तहत ब्याज अनुदान की पात्र इकाई है। सशक्त अधिकारी द्वारा RIPS 2003 स्कीम के तहत ब्याज अनुदान आदेश पारित करने के बाद पुनः रा.मू.व.क.अधि. 2003 की धारा 33 सपठित धारा 26 एवं सपठित क्लॉज 9बी(vii) रा.नि.प्र.योजना, 2003 के तहत आदेश पारित किया है। वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.4(18)एफडी/टैक्स/2001 पीटी दिनांक 10.10.2008 द्वारा पूर्व आदेश क्रमांक

29/08/14

for

लगातार.....3

एफ4.(18)एफडी/टैक्स/डिवीजन/2001 दिनांक 28.07.2003 के कतिपय बिन्दुओं पर दिए गये स्पष्टीकरण के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह अविधिक एवं अनुचित आदेश की श्रेणी में आता है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने कथन किया कि वित्त विभाग द्वारा दिनांक 10.10.2008 को जारी CLARIFICATION व आदेश इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इकाई को Entitlement Certificate उक्त CLARIFICATION व आदेश की तिथि से पूर्व के है। साथ ही देय कर का आशय कुल कर संग्रहण है तथा पूर्व में जारी स्वीकृतियां सही गणना की जाकर जारी की गयी है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि आलौच्य अवधियों का सम्पूर्ण देय कर जमा करवा दिया गया है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बिना किसी साक्ष्य के अधिनियम की धारा 26 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किया है जो केवल मतभिन्नता की वजह से है जो अनुचित और अविधिक है। अपीलार्थी द्वारा कोई कर के दायित्व को छिपाया नहीं गया है एवं समस्त पण्यवर्त का निर्धारण पूर्व में ही किया जा चुका है अतः यह कर दायित्व छिपाने का प्रकरण नहीं है। इसके समर्थन में उन्होंने निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

111 STC page 703 (A.P. High court)

97 STC page 442 (A.P. High court)

72 STC page 2 Item 5 News from S.C. Commissioner of Income Tax Vs Tarajan Tea Co. Pvt. Ltd. 152 CTR page No. 1 (S.C.), Guwahati High Court Garden Silk Mills Pvt. Ltd. Vs Dy Commissioner, Income Tax reported in 237 ITR page 668, Associated Stone Industries Ltd. Vs Commissioner of Income Tax 224 ITR 560 (S.C.), Geiminy Steel Tubes Ltd. (1999) 114 STC 259 (KHC), National Clinic 1966 RLW 257 (RHC), Black Stone Rubber Industries Pvt Ltd. (2001) 124 STC 130 (RHC)

7. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने पुनः कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में संशोधन अन्तर्गत अधिनियम धारा 33 किया गया है जो कि अविधिक है चूंकि पूर्व आदेश संचेतन मन एवं खुली आंखों से पारित किया गया है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मक्कड प्लास्टिक एजेन्सीज में सिद्धान्त प्रतिपादित किया एवं 29 टैक्स अपडेट पृष्ठ संख्या 253 में प्रकाशित है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने निम्न दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये :-

33 टैक्स अपडेट पृष्ठ 53, मैसर्स आर.के.मार्बल्स प्रा०लि०, किशनगढ बनाम सीटीओ विशेष वृत अजमेर अपील संख्या 956से 962/2009 दिनांक 24.10.2011।

8. उन्होंने गुणावगुण पर आगे तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज अनुदान इस आधार पर नहीं दिया कि अपीलार्थी द्वारा कर की राशि पूर्णतया जमा नहीं करवायी है। जबकि स्वीकृत अनुदान की राशि उनके द्वारा नियमानुसार अग्रिम कर के पेटे जमा कर दी गई थी। स्कीम के क्लॉज 7(1)(बी) के अनुसार ब्याज अनुदान, नवीनीकरण/विस्तार के मामलों में करदेयता अथवा देय कर जमा होने के आधार पर स्वीकार्य है कर जमा कराने की बाध्यता नहीं है जबकि स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार कर जमा करवाना बाध्यकारी है। स्पष्टीकरण स्कीम के मूलभूत प्रावधानों को निष्प्रभावित नहीं कर सकता।

9. विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि एक बार दिया गया लाभ वापस नहीं लिया जा सकता है जैसाकि मैसर्स मोतीलाल पदमपथ शुगर मिल्स लि० बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (1969) 118 आईटीआर 326 (सु.को.) में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

10. ब्याज आरोपण के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि विवरणियों के अनुसार उन्होंने पूरा कर जमा करवा दिया था एवं कर की संगणना नहीं की जा चुकी थी। अतः इस पर ब्याज आरोपण अवैध है इसके समर्थन में उन्होंने निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

dw'
29/08/16

h

लगातार.....4

मैसर्स जे.के.सिन्थेटिक लि० बनाम राजस्थान राज्य 94 एसटीसी पेज 422 (सु.को.)

मैसर्स फ्रिग इण्डिया लि० बनाम हरियाणा राज्य 95 एसटीसी पेज 188 (सु.को.)

आयुक्त बिक्री कर बनाम हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन 127 एसटीसी पेज 258 (सु.को.)

मैसर्स ई.आई.डी पैरी (इण्डिया) लि० बनाम सहायक आयुक्त 141 एसटीसी पेज 12 (सु.को.)

इसके अतिरिक्त उन्होंने कथन किया कि चूंकि कर उन्होंने एडवांस में जमा करवा दिया है अतः मूल विवरणियों में देय कर से अधिक कर जमा करा देने पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जा सकता इसके संबंध में निम्न दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

1- 8 VST page 10 (P&H)

2- 10 VST page 259 (P&H)

3- 36 PHT page 101 (P&H)

4- 36 PHT page 424 (P&H)

उक्त दृष्टान्तों में दिये गये निर्णयों के आधार पर उन्होंने ब्याज के आरोपण को अविधिक बतलाया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्ट किये गये आदेशों को विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

11. उन्होंने कथन किया कि ब्याज की दर आलौच्य अवधि में राज्य सरकार की अधिसूचना 05.05.2006 के अनुसार 12 प्रतिशत होनी चाहिये थी परन्तु उनके द्वारा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का आरोपण किया गया है, भी अनुचित है। अतः उक्त राशि को कम किये जाने का विकल्प के तौर पर अनुरोध किया गया।

12. दूसरी ओर विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि वित्त विभाग द्वारा जारी CLARIFICATION दिनांक 10.10.2008 के प्रावधानों के अनुसार नवीनीकरण/विस्तार/विविधीकरण के प्रकरणों में किये गये विनियोजन के मामलों में ब्याज अनुदान 50 प्रतिशत अधिकतम होगा जो कि इकाई द्वारा पिछले तीन वर्षों में देय अथवा जमा करवाये गये कर की राशि, जो भी अधिक हो, अतिरिक्त रूप से जमा करवायी गई हो एवं अतिरिक्त क्षमता के कारण कर देयता बनी हो, के अनुसार देय होगा।

13. उन्होंने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार अनुदान की गणना त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने के आधार पर कर जमा होने के प्रमाण के साथ त्रैमासिक की जावेगी एवं उक्त स्पष्टीकरण की बिन्दु संख्या 3 के अनुसार कर देय का तात्पर्य अधिनियम के तहत कर राशि देयता में से आगत कर कम करने के पश्चात प्राप्त राशि स्कीम के प्रयोजनार्थ मानी जावेगी। इसके साथ ही उन्होंने मैसर्स राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिये गये निर्णय जो रिट पिटीशन संख्या 693, 10230/2009 क्रमशः मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम लि० व मैसर्स उमा पोलीमर्स लि० बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्णय के अनुसार ही व्यवहारी को ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया है जो सर्वथा उचित एवं विधिक है अतः अपीलार्थी इकाई की प्रस्तुत उक्त अपीलें खारिज करने का अनुरोध किया।

14. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने आगे कथन किया कि इकाई द्वारा ब्याज अनुदान के लिये प्रस्तुत वेट एवं सीएसटी रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के क्लॉज 7(1)(बी), 9(बी)(vii), तथा वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.10.2008 के अनुसार ब्याज अनुदान स्वीकृतियां हुई हैं। माननीय

लगातार.....5

29/08/16

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी रिट पिटीशन संख्या 693, 10230/2009 (1) मैसर्स आरएसडब्ल्यूएम लि० (2) उमा पोलीमर्स लि० बनाम सरकार के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो ब्याज अनुदान देय माना है वह नियमानुसार व उचित है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

15. उभयपक्षीय बहस, रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भ आपत्तियों पर विचार किया जाना आवश्यक है इसके लिये वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.4(18)एफडी/टैक्स/2001 पीटी दिनांक 10.10.2008 का अवलोकन किया गया। राज.नि.प्रो.योजना के Relevant Provisions निम्नानुसार है :-

(i) राज.नि.प्रो.योजना 2003 के क्लॉज 7(1)(बी):-

"In case of investment made in Modernization/Expansion/Diversification, the amount of subsidy shall be subject to a maximum of fifty percent of the additional amount of Rajasthan Sales Tax and the Central Sales Tax or VAT payable or deposited by the unit over and above the highest tax payable or deposited whichever is higher, in any of the three immediately preceding Year."

वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.4(18)एफडी/टैक्स/01पीटी दिनांक 10.10.2008 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार पूर्व के क्लॉज को Shall be replaced by जो निम्न है:-

"In case of investment made in Modernization /Expansion, the amount of subsidy shall be subject to a maximum of fifty percent of the amount of the Central Sales Tax and VAT payable or deposited by the unit on its additional capacity, so created over and above the installed capacity before expansion/modernization.

(i i) राज.नि.प्रो.योजना 2003 के क्लॉज 9(बी)(vii):-

"The payment of interest subsidy shall be made only for the period for which the unit deposits State and/or Central Sales tax and/or and makes regular repayment of loan and interest due to the financial institution(s) subsidy shall be disallowed for the period the unit defaults in depositing sales tax or defaults in regular repayment of loan or interest. It shall be restored on the recommendation of the Assistant Commissioner/commercial Taxes Officer from the Commercial Taxes Department and the concerned Financial institution in case such unit clears all its over dues, and starts making regular repayment of sales tax and the term loan interest.

(iii) राज.नि.प्रो.योजना 2003 के क्लॉज 10(b) :-

"(b) The unit availing [Capital Investment Subsidy (Interest component) and/or Capital Investment Subsidy (wage component) and availing exemption of luxury tax, electricity duty, mandi tax, entertainment tax, stamp duty, conversion charges and other benefits under the Scheme shall be subject to the conditions, procedures, instructions, clarifications, or amendments issued from time to time under the Scheme."

इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से है :-

लगातार.....6

dw'
29/08/16

✓

(iv) वित्त विभाग के CLARIFICATION संख्या एफ.4(18)एफडी/टैक्स -डिवीजन/2001 पीटी दिनांक 10.10.2008 :-

बिन्दु संख्या 1:-

"Regarding periodicity for computation of subsidy under the Scheme. It is clarified that computation of subsidy under the Scheme shall be made on quarterly basis after submission of return for the quarter along with proof of deposit of tax. It is further clarified that subsidy under clause 7 is allowable after deposit of the tax."

बिन्दु संख्या 3:- "The term" tax payable under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, is the amount of the leviable under the Act less the amount of input tax credit, if any, for the purpose of the Scheme."

उपरोक्तानुसार स्कीम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार इकाई को देय कर जमा करवाने के पश्चात ही ब्याज अनुदान अनुज्ञेय है जबकि व्यवहारी ने पहले ही ब्याज अनुदान अग्रिम टैक्स के विरुद्ध समायोजित कर लिया जो कि अनुचित था। इसके साथ ही उक्त वर्णित स्पष्टीकरण के बिन्दु संख्या 3 का सरसरी तौर पर अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्गत कर में से आगत कर को कम करते हुए कर देयता मानी जानी थी जो प्रावधानों की विरुद्ध की गई गलती थी। जिसको उन्होंने स्कीम के क्लॉज 9(बी), जिसमें उनको संशोधन की शक्तियां प्रदान की गई है के अनुरूप संशोधित कर दिया गया। स्कीम के तहत अनुज्ञात अनुदान लाभ स्कीम के क्लॉज 10(सी) के अनुसार उक्त स्कीम के तहत समय-समय पर जारी शर्तें, प्रक्रियाएँ, निर्देश, स्पष्टीकरण अथवा संशोधनों के अध्याधीन है अतः राज्य सरकार द्वारा स्पष्टीकरण इस संबंध में जारी किया गया है तो वह भी स्कीम का हिस्सा ही होगा। स्कीम के क्लॉज 9(बी) में संशोधन के प्रावधान निम्न प्रकार से है :-

"9(B) of the RajInvset scheme, 2003 "(viii) Rectification of mistake, With a view to rootify mistake apparent on the record, subsidy sanctioned by the assessing authority of the Commercial Taxes Department, under this scheme may rectifysuo moto or otherwise any order passed by him as per the provision of section 33 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003."

उपरोक्त संशोधन के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी ने गणना की भूल को दुरुस्त किया है। जिसमें प्रावधाननुसार कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी ने इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

स्कीम के उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुदान के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार नहीं थे अतः क्लॉज 9(बी) के अनुसार इनमें संशोधन किया गया है। जहां तक दूसरी आपत्ति की कर निर्धारण अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत अविधिक आदेश किया गया है इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पूर्व में जो अनुदान आदेश पारित किया गया था, में स्कीम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 के अनुसार नहीं

Dw.
29/08/15

lv

लगातार.....7

होने से व्यवहारी को अनुदान अधिक प्राप्त हो गया था एवं परिणामस्वरूप इकाई पर कम करारोपण हो गया जो कि धारा 26(1)(सी) के अनुरूप escaped Assessment की श्रेणी में आता है एवं इन परिस्थितियों में कर निर्धारण आदेश में संशोधन कर स्कीम के प्रावधानों के अनुसार धारा 26 के तहत कर निर्धारण सम्पन्न किया गया है उसमें कोई अनियमितता नहीं पायी जाती है। माननीय न्यायालयों के उद्धरित प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से यहां पर लागू नहीं पाये जाते हैं।

16. निर्गत कर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगत कर घटाकर कर देयता के आधार पर ब्याज अनुदान की गणना त्रैमासिक रूप से करके पुनः संशोधित आदेश पारित किया है। इसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी की गई है इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.रिट पिटिशन संख्या 693, 10230/2009 1) M/s RSWM Limited (2) Uma Polymers Ltd Vs State of Rajasthan and Ors पर दिये गये निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये :-

Central Sales Tax Act, 1956 incentive Scheme of 1987 and 1998, Rajasthan Sales Tax Act, 1994, Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 Section 2(17), 2(24), 2(33), 2(39), 1720-sub-section(a) and (3) section 33-Government notification Nos.F4(18)FD/Tax-Div/2001 date 10.10.2008, F.4(18)FD/Tax-Div/2001 dated 28.07.2003 "By these two writ petitions the petitioners have challenged the clarification issued by the Finance Department(Tax Division) of Government of Rajasthan on 10.10.2008 whereby the State Government issued clarification that the term "tax payable" under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 is the amount of the leviable under the Act less the amount of input tax credit if any for the purpose of the Scheme. The Scheme in question is Rajasthan investment promotion Policy, 2003 which was issued by the State Government on 20.08.2003 with a view to provide the investors an attractive opportunity to invest in the State of Rajasthan and certain incentives in the form of subsidy was directed to be paid to the eligible units While dismissing the writ petitions the Rajasthan High Court held that :- "in the considered opinion of this Court, the clarification issued by the Finance Department (Tax Division) on 10.10.2008 is perfectly in consonance with the Rajasthan VAT Act, 2003 read with clause 7 of the Scheme - RIPS 2003 same cannot be said to be either without jurisdiction or bearing incorrect or erroneous interpretation of provisions of the Scheme or VAT Act, 2003 Moreover, the subsidy provided under the RIPS, 2003 is a concession and there is no vested right of assessee or manufacturer to claim a particular amount of subsidy upto a particular limit and the amount of subsidy could be curtailed or limited as has been done in clause 7 upto 50% of the 'tax payable and deposited under the Rajasthan VAT Act, 2003 or CST Act, 1956 or erstwhile Rajasthan Sales Tax Act, 1994 putting a limit on such amount of subsidy which is computed on the basis of interest paid on the loans borrowed by the assessee and such clarification of such term cannot be said to be unjustified, illegal or arbitrary The clarification dt 10.10.2008 since the commencement of RIPS, 2003 itself and the impugned orders determining the cap of subsidy amount on the basis of net tax payable as well as the rectification orders to give effect to the same to rectify the mistake apparent under the relevant powers under the Act and Scheme would be permissible in law and the impugned orders passed by the authorities are thus bound to be upheld."

M'
28/08/16

✓

उपरोक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है उसके आलोक में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है, कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही किसी भी प्रकार से अविधिक नहीं है।

17. अपीलार्थी की ओर से यह दलील दी गयी है कि आरोपित कर पर ब्याज आरोपित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है :-

अधिनियम की धारा 55.- Interest on failure to pay tax or other sum payable. - (1) Where any person or a dealer commits a default in making the payment of any amount of-

(a) tax leviable or payable; or

(b) any amount of tax, fee, penalty or interest assessed or determined; or

(c) any other amount payable by him,

within the specified time under the provisions of this Act or the rules made or notifications issued thereunder, he shall be liable to pay interest on such amount at such rate, as may be notified by the State Government from time to time.

उपर्युक्त प्रावधानों के अध्ययन के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि अधिनियम में किसी भी प्रकार की मांग राशि समय पर राजकोष में जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में, ब्याज आरोपण के विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं। मूल निर्धारण आदेश में आरोपित ब्याज 'ऑटोमेटिक' है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मै0 हाजी लाल मोहम्मद बीड़ी वर्क्स बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 32 एस.टी.सी. 496 में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स रस्तोगी स्टील फर्नीचर 6 टैक्स अपडेट 317 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ., घट-द्वितीय, अजमेर बनाम स्वास्तिक बैटरी कॉरपोरेशन, अजमेर अपील संख्या 42 से 46/2003/अजमेर निर्णय दिनांक 09.09.2003 (2003) 2 आर.टी.आर. 516 एवम् कर बोर्ड की एकलपीठ के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स दिनेश एन्टरप्राइजेज़, बासनी, जोधपुर बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय, जोधपुर 6 टैक्स अपडेट 366 के प्रकाश में अशंत: ब्याज आरोपण हेतु पारित आदेश विधिसम्मत है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 99-33दिनांक 05.05.2006 के अनुसार ब्याज की दर 12 प्रतिशत होने के आधार पर 18 प्रतिशत ब्याज आरोपण को अनुचित बताया है चूंकि उक्त राशि स्कीम, 2003 के अधीन देय राशि है जिस पर स्कीम के तहत ही क्लॉज 10 के तहत विशेष प्रावधान किया गया है। जिसका पठन निम्न प्रकार से है :-

क्लॉज 10 Terms and Conditions :-

“.....Breach of any of these conditions shall make the subsidy/exemption amount liable to be recovered as tax or arrears of land revenue/alongwith interest @ 18% per annum from the date from which the subsidy was provided.”

अतः उपरोक्त विशिष्ट प्रावधान के दृष्टिगत आरोपित 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की पुष्टि की जाती है।

18. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने ब्याज के प्रकरण पर पुनः प्रश्न उठाते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि क्योंकि इनकी इकाई को ब्याज अनुदान की राशि के भुगतान के आदेश पूर्व में ही जारी कर दिये गये थे परन्तु राजकोष में इनका भुगतान विहित अवधि 30 दिवस के पश्चात किया गया है अतः उनको 5 प्रतिशत ब्याज देय होता है इस संबंध में स्कीम के क्लॉज 10(सी) के नोट का अवलोकन किया जाना उचित होगा तदनु रूप :-

Am'
28/08/16

lv

लगातार.....9


“Note – Interest @ 5 percent per annum would be payable to investor in case the payment of subsidy is delayed for a period of more than 30 days once the subsidy release order is issued.”


अतः स्कीम के उक्त विशिष्ट प्रावधानों के दृष्टिगत ब्याज अनुदान स्वीकृति आदेश एवं राजकोष में उक्त अनुदान राशि के भुगतान की तिथि के बीच की अवधि में से 30 दिवस छोड़ते हुए शेष अवधि के लिये 5 प्रतिशत ब्याज अपीलार्थी को देय होगा। गणना कर ब्याज राशि भुगतान हेतु प्रकरण इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

बिन्दु संख्या 18 (उपरोक्त) को छोड़कर शेष मामलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

19. परिणामस्वरूप व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों को उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से खारिज करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


22.8.2016
(मदन लाल)
सदस्य